Worth Reportable

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/डिक्री/टिए/126/2004/बाडमेर** **प्रतापसिंह बनाम अमान सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17 जनवरी, 2014	**खण्ड पीठ** **श्री बी.एल.नवल, सदस्य** **श्री प्रियव्रत पंड्या, सदस्य** विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31–10–2013 एवं अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2013 पर अभिभाषक अपीलार्थी डा0 रजनीश राजपुरोहित एवं रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक श्री प्रदीप विश्नोई की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि रैस्पो0 की तरफ से प्रस्तुत वकालतनामा मूल अभिभाषक श्री यज्ञ दत्त शर्मा की बिना अनापत्ति के प्रस्तुत किया गया है जो बार काउॅसिल आफ इण्डिया के नियम 1976 के नियम 39 के प्रावधानों के विपरीत होने से तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 नियम 4 (2) के अनुरुप नहीं होने से प्रतिपक्ष के योग्य अभिभाषक को अपना पक्ष पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान अभिभाषक का यह तर्क है कि पक्षकार द्वारा प्रस्तुत वकालतनामे के साथ एक से अधिक अभिभाषक के नाम हो सकते हैं, किन्तु एक बार वकालतनामा पेश होने के बाद में कोई अन्य अभिभाषक का वकालतनामा पेश होता है तो उसके लिये पूर्व में नियुक्त अभिभाषक की अनापत्ति आवश्यक है। यदि उक्त प्रावधानों के विपरीत पूर्व में नियुक्त अभिभाषक की अनापत्ति के बिना वकालतनामा दिया गया है तो वह "प्रोफेशनल मिस कण्डक्ट" तथा धोखा–धडी पूर्ण एवं कंटैम्पट ऑफ कोर्ट की परिधि में दण्डनीय अपराध है। इस बाबत् "कंटैम्पट ऑफ कोर्ट "एक्ट, 1971 की धारा 2(सी)(II) के प्रावधानों का उल्लेख किया। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस समाहित करते हुये निवेदन किया कि प्रतिपक्ष के विद्वान अभिभाषक श्री प्रदीप विश्नोई एवं श्री भींयाराम चौधरी को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता , अतः उन्हें प्रतिपक्ष की तरफ से न्यायालय में पेश होने एवं पैरवी करने से रोका जाए एवं उनके विरुद्ध प्रोफेशनल मिस कण्डक्ट कारित करने का दोषी मानते हुये न्यायालय की अवमानना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जावे। बहस का जबाब देते हुये प्रतिपक्ष के विद्वान अभिभाषक ने आदेश 3 नियम 4 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का सन्दर्भ देते हुये स्पष्ट किया कि इन प्रावधानों के तहत पक्षकारान अधिवक्ता नियुक्त करने को स्वतंत्र हैं, वे अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये अपनी सुविधा के अनुसार कितने ही अधिवक्ता नियुक्त कर सकते हैं, इसमें पहले व बाद में अधिवक्ता नियुक्त करने का कोई बंधन नहीं है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलार्थी अधिवक्ता को यह प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है कि प्रतिपक्ष का अधिवक्ता कौन होगा। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि उन्हें स्वयं प्रतिपक्ष के पक्षकारान ने अधिवक्ता नियुक्त किया है एवं पूर्व में नियुक्त अधिवक्ता को इस बारे में ऐतराज नहीं है और ना ही उन्होंने न्यायालय को इस बाबत् अवगत कराया है, ऐसी स्थिति में आदेश 3 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत ही वह प्रतिपक्ष का कथन पेश करने हेतु उपस्थित हुये हैं। बार काउॅसिल ऑफ इण्डियां के नियमों में भी यही प्रावधान हैं जिनकी पालना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / डिक्री / टिए / 126 / 2004 / बाडमेर** **प्रतापसिंह बनाम अमान सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की गई है। हमने किसी प्रकार का प्रोफेशनल मिस कण्डक्ट का कार्य नहीं किया है, न्यायिक प्रावधानों के तहत ही हमारे मुवक्किल की इच्छानुसार व सहमति के हस्ताक्षर उपरान्त वकालतनामा पेश किया है, जिस पर पूर्व अधिवक्ता श्री यज्ञदत्त शर्मा ने भी न्यायालय में कोई ऐतराज नहीं किया हैश अतः "कंटैम्पट ऑफ कोर्ट" जैसा कोई विषय है ही नहीं तो इस बाबत् कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना–पत्र खारिज किये जा कर प्रकरण को आगे बढाया जाये एवं मेरे "एबेटमेण्ट" के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाये। हमने उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । विद्वान अभिभाषकगण द्वारा उल्लेखित प्रावधानों का अवलोकन व अध्ययन किया । बार काउॅसिल आफ इण्डिया के नियम 1976 के भाग IV : Duty to colleagues में उल्लेखित नियम 39 के प्रावधान इस प्रकार हैं :– Rule 39- . An advocate shall not enter appearance in any case in which there is already a Vakalatnama or memo of appearance filed by advocate engaged for a party except with his consent; in case such consent is not produced he shall apply to the Court stating reasons why the said consent could not be produced and he shall appear only after obtaining the permission of the Court. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 नियम 4 (2) में पक्षकारान द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करने के प्रावधान इस प्रकार हैं :– 4- Appointment of pleader - (2) Every such appointment shall be [filed in Court and shall, for the purposes of sub-rule (1), be] deemed to be in force until determined with the leave of the Court by a writing signed by the client or the pleader, as the case may be, and filed in Court, or until the client or the pleader dies, or until all proceedings in the suit are ended so far as regards the client. उक्त दोनों प्रावधानों में कहीं भी यह उल्लिखत नहीं है कि एक पक्षकार कितने अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है अथवा कोलान्तर में एक से अधिक अधिवक्ता नियुक्त करने पर किसी प्रकार का बंधन है। इन प्रावधानों में यह भी उल्लेखित नहीं है कि एक बार अधिवक्ता नियुक्त करने के बाद उसके साथ पक्षकारान दूसरा अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक श्री यज्ञदत्त शर्मा द्वारा दिनांक 30–11–2006 को वकालतनामा पेश किया। दिनांक 31–10–2012 को विपक्षी संख्या 1 व 2 की तरफ से श्री भींयाराम चौधरी, एडवोकेट ने पावर पेश किया जिसे रिकार्ड पर रखा गया। दिनांक 28–02–2013 को रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता श्री भींयाराम चौधरी द्वारा अपील अबेट होने तथा स्थगन प्रार्थना पत्र के आवेदन पेश किया जिस पर अपील के गुणावगुण पर बहस एक साथ किये जाने का आदेश हुआ। आगामी पेशी दिनांक 05–03–2013 को विपक्षी संख्या–1 की ओर से श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक का पावर पेश किया गया। दिनांक 30–04–2013 को अपीलार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / डिक्री / टिए / 126 / 2004 / बाडमेर** **प्रतापसिंह बनाम अमान सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिभाषक डा0 रजनीश राजपुरोहित व रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता श्री प्रदीप विश्नोई व श्री भींयारांम चौधरी ने अपील के ग्राह्यता व स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस की, जिस पर दिनांक 06–05–2013 को खण्डपीठ ने अपील को श्रवणार्थ ग्राह्य करने का आदेश दिया साथ ही प्रत्यर्थी संख्या–2 धनसिंह की मृत्यु होने एवं अपीलार्थी प्रताप की मृत्यु होने के सम्बन्ध में भी तत्सम्बन्धित आदेश जारी किया, साथ ही स्थगन प्रार्थना पत्र पर भी युक्तियुक्त आदेश जारी किया। दिनांक 30–08–2013 को मृतक प्रताप के पुत्र महेश पुरोहित द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर खण्डपीठ ने युक्तियुक्त कार्यवाही के आदेश दिये। दिनांक 09–10–2013 को भी अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक डा0 रजनीश राजपुरोहित व रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता श्री प्रदीप विश्नोई की उपस्थिति में आदेश 22 नियम 13, जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश किया व उनके विधिक वारिसान की तरफ से वकालतनामा पेश किया। उक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट के योग्य अभिभाषक के वकालतनामा पेश करने के बाद विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने न्यायालय की कार्यवाही में भाग लिया एवं दिनांक 09–10–2013 तक उन्होंने रेस्पोडेण्ट के वर्तमान अधिवक्तागण की उपस्थिति एवं उनके द्वारा पेश किये गये पावर के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं किया, फिर अचानक दिनांक 31–10–2013 एवं 29–11–2013 को प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने लगभग 1 वर्ष तक बिना किसी ऐतराज के कार्यवाही में भाग लिया एवं 1 वर्ष पश्चात् इस प्रकार का ऐतराज पेश किया, जिसे उचित नहीं माना जा सकता। अतः दिनांक 31–10–2013 को प्रस्तुत अपीलार्थी के प्रार्थनापत्र को खारिज किया जाता है। चूँकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 नियम 4 (2) के प्रावधानों के तहत ही अधिवक्ता नियुक्त किये जाते हैं, ऐसी स्थिति में "कंटैम्पट ऑफ कोर्ट " की कार्यवाही के बारे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर भी किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थना पत्र दिनांक 29–11–2013 भी खारिज किया जाता है। बहस के तुरन्त बाद में श्री यज्ञदत्त शर्मा जो रैस्पो0 के पूर्व अधिवक्ता थे, ने न्यायालय में उपस्थित हो कर अपनी अनापत्ति होना जाहिर किया जो पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट है। साथ ही अनापत्ति के साथ रैस्पो0 द्वारा फिर से वकालतनामा पेश कर दिया है ऐसी स्थिति में रैस्पो0 के अभिभाषक श्री प्रदीप विश्नोई एवं श्री भींयाराम चौधरी द्वारा प्रकरण में कार्यवाही में भाग लिये जाने बाबत् कोई ऐतराज शेष नहीं रहता है। रैस्पो0 पक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील के अबेटमेण्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 28–02–2013 पर अग्रिम कार्यवाही के लिए न्यायालय स्वतंत्र है। वास्ते उक्त कार्यवाही पत्रावली दिनांक 31–01–2014 को किसी भी खण्ड पीठ के समक्ष पेश हो। **(प्रियव्रत पंड्या)** **सदस्य** **(बी एल नवल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / डिक्री / टिए / 126 / 2004 / बाडमेर** **प्रतापसिंह बनाम अमान सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / डिक्री / टिए / 126 / 2004 / बाडमेर** **प्रतापसिंह बनाम अमान सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / डिक्री / टिए / 126 / 2004 / बाडमेर** **प्रतापसिंह बनाम अमान सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए